



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-1020

दिनांक 5-5-23

पट्टा विलेख निरस्तीकरण आदेश

राजस्व ग्राम बीड सरकारी तहसील जयपुर की अवाप्त भूमि के बदले खसरा नम्बर 174/249 रकबा 20 बीघा में से हिस्सा 1/5 के खातेदारों/हितधारियों को मुआवजा स्वरूप पी.डब्ल्यू.सी.की बैठक 02/2023-24 दिनांक 17.02.2023 के एजेण्डा नम्बर 24 के निर्णय के क्रम में योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर भूखण्ड संख्या 6/II/II/G क्षेत्रफल 352.7 वर्गमी. का आवंटन पत्र क्रमांक 612 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 664 दिनांक 16.03.2023 एवं फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1804 दिनांक 21.03.2023 को श्रीमती मंगली देवी मीणा पुत्री स्व. श्री बिरधी चन्द मीणा पत्नी श्री कालूराम मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया था।

थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर जयपुर उत्तर से प्राप्त पत्र क्रमांक 3449-50 दिनांक 29.04.2023 (प्राप्ति दिनांक 01.05.2023) अनुसार प्राप्त पत्र में अंकित किया गया कि श्री एस0एस10 गौड निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने एक रिपोर्ट भारतीय सर्वेक्षण विभाग जयपुर के नाम से सेक्टर नम्बर 6 विद्याधर नगर में स्थित जमीन 7747.21 वर्गमीटर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उक्त के सम्बन्ध में जेडीए द्वारा जारी संशोधित लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 2188 दिनांक 10.07.1997 व साईट प्लान की फोटो प्रति रिकार्ड पेश किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वयं की बतायी जा रही जमीन को राहुल मीणा निवासी 02 मीणा कॉलोनी गंगापोल जयपुर नामक व अन्य व्यक्तियों को जेडीए से अवाप्त भूमि के बदले निःशुल्क अलॉट करना बता रहे हैं।

प्राप्त पत्र के परीक्षण उपरान्त संज्ञान में आया कि योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा आवंटी को जारी किया गया था, जबकि उक्त भूखण्ड की भूमि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को पूर्व में दिनांक 28.08.1989 को आवंटित है। अतः प्रकरण दोहरा आवंटन का होने से आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा निरस्त करने योग्य है।

लगातार.....

2/

उपायुक्त जोन-2

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर भूखण्डधारी/आवंटी को जोन कार्यालय के पट्टा विलेख निरस्तीकरण बाबत सूचना क्रमांक डी-1001 दिनांक 03.05.2023 द्वारा उक्त भूखण्ड के समर्थन में दिनांक 04.05.2023 को दोपहर 3.00 बजे जोन उपायुक्त एवं प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु समस्त मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 04.05.2023 को उक्त भूखण्ड के भूखण्डधारी के प्रतिनिधि श्री प्रभु दयाल मीणा उपस्थित हुए और उनके द्वारा उक्त भूखण्ड के जारी आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा मूल प्रस्तुत करके हुए निवेदन किया गया कि उक्त भूखण्ड निरस्त किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त भूखण्ड के स्थान पर उपलब्धता के आधार पर अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4 -जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार

3/2/23
[प्रस विधाधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/G क्षेत्रफल 352.7 व.मी. का आवंटन पत्र क्रमांक 612 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 664 दिनांक 16.03.2023 एवं फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1804 दिनांक 21.03.2023 को श्रीमती मंगली देवी मीणा पुत्री स्व. श्री बिरधी चन्द मीणा पत्नी श्री कालूराम मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया को प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन मानते हुए एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।]

उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ जारी पट्टे के जारी होने की तिथि से उपरोक्त रद्दकरण आदेश जारी करने की तिथि तक प्रश्नगत भूखण्ड या इसके किसी भाग पर यदि किसी तृतीय पक्षकार के हित निहित हो गये है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्रीमती मंगली देवी मीणा पुत्री स्व. श्री बिरधी चन्द मीणा पत्नी श्री कालूराम मीणा की होगी, जयपुर विकास प्राधिकरण किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।

2


(श्रीमती देवी शर्मा)-2

उपायुक्त, जयपुर-द्वितीय प्राधिकृत अधिकारी
जविप्रा, जयपुर

लगातार.....

प्रतिलिपि : सूचनार्थ प्रेषित है

1. श्रीमान् आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उपमहानिरीक्षक, मुद्रांक वृत्त, प्रथम, वृत्त द्वितीय, वृत्त तृतीय, जयपुर को भेजकर लेख है विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/G के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1804 दिनांक 21.03.2023 जो कि उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर के यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सभी सम्बन्धित उप पंजीयक को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर को भेजकर लेख है विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/G के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1804 दिनांक 21.03.2023 जो कि आपके यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6. थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर (उत्तर)
7. श्रीमती मंगली देवी मीणा पुत्री स्व. श्री बिरधी चन्द मीणा पत्नी श्री कालूराम मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर
8. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पट्टे को रद्द करने की आम सूचना दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित करायी जावें।
9. रक्षित पत्रावली


(श्रीमान् आयुक्त) जयपुर-2
उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, अधिकारी
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(0141-2574768) (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-1019

दिनांक 5-5-23

पट्टा विलेख निरस्तीकरण आदेश

राजस्व ग्राम बीड सरकारी तहसील जयपुर की अवाप्त भूमि के बदले खसरा नम्बर 174/249 रकबा 20 बीघा में से हिस्सा 1/5 के खातेदारों/हितधारियों को मुआवजा स्वरूप पी.उ.ब्लू.सी.की बैठक 02/2023-24 दिनांक 17.02.2023 के एजेण्डा नम्बर 24 के निर्णय के क्रम में योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर भूखण्ड संख्या 6/H/II/H क्षेत्रफल 218.50 वर्ग मी. का आवंटन पत्र क्रमांक 611 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 665 दिनांक 16.03.2023 एवं फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1808 दिनांक 21.03.2023 को श्री आदर्श मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया था।

थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर जयपुर उत्तर से प्राप्त पत्र क्रमांक 3449-50 दिनांक 29.04.2023 (प्राप्ति दिनांक 01.05.2023) अनुसार प्राप्त पत्र में अंकित किया गया कि श्री एन.एस. गौड़ निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने एक रिपोर्ट भारतीय सर्वेक्षण विभाग जयपुर के नाम से सेक्टर नम्बर 6 विद्याधर नगर में स्थित जमीन 7747.21 वर्गमीटर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उक्त के सम्बन्ध में जेडीए द्वारा जारी संशोधित लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 2188 दिनांक 10.07.1997 व साईट प्लान की फोटो प्रति रिवाइज पेश किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वयं की बतायी जा रही जमीन को राहुल मीणा निवासी 02 मीणा कॉलोनी गंगापोल जयपुर नामक व अन्य व्यक्तियों को जेडीए से अवाप्त भूमि के बदले निशुल्क अलॉट करना बता रहे है।

प्राप्त पत्र के परीक्षण उपरान्त संज्ञान में आया कि योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा आवंटी को जारी किया गया था, जबकि उक्त भूखण्ड की भूमि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को पूर्व में दिनांक 28.08.1989 को आवंटित है। अतः प्रकरण दोहरा आवंटन का होने से आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा निरस्त करने योग्य है।

उपायुक्त, जॉन-2

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जगातार.....

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रैल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर भूखण्डधारी/आवंटी को जोन कार्यालय के पट्टा विलेख निरस्तीकरण बाबत सूचना क्रमांक डी-1002 दिनांक 03.05.2023 द्वारा उक्त भूखण्ड के समर्थन में दिनांक 04.05.2023 को दोपहर 3.00 बजे जोन उपायुक्त एवं प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु समस्त मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 04.05.2023 को उक्त भूखण्ड के भूखण्डधारी के प्रतिनिधि श्री प्रभु दयाल भीणा उपस्थित हुए और उनके द्वारा उक्त भूखण्ड के जारी आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फी होल्ड पट्टा मूल प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उक्त भूखण्ड निरस्त किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त भूखण्ड के स्थान पर उपलब्धता के आधार पर अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रैल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4 -जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार

पर विधाधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/H क्षेत्रफल 218.50 वर्ग मी. का आवंटन पत्र क्रमांक 611 दिनांक 09.03.2023 / कब्जा पत्र क्रमांक 665 दिनांक 16.03.2023 एवं फी होल्ड पट्टा क्रमांक 1808 दिनांक 21.03.2023 को श्री आदर्श मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी C2, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया को प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन मानते हुए एतद्वारा रद्द किया जाता है।

उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ जारी पट्टे के जारी होने की तिथि से उपरोक्त रद्दकरण आदेश जारी करने की तिथि तक प्रश्नगत भूखण्ड या इसके किसी भाग पर यदि किसी तृतीय पक्षकार के हित निहित हो गये हैं तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्री आदर्श मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा की होगी, जयपुर विकास प्राधिकरण किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।

(शैफली युक्तानन्द) न-2
उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जविप्रा, जयपुर

लगातार.....

प्रतिलिपि : सूचनार्थ प्रेषित है

1. श्रीमान् आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उपमहानिरीक्षक, मुद्रांक वृत्त, प्रथम, वृत्त द्वितीय, वृत्त तृतीय, जयपुर को भेजकर लेख है विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/H के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1808 दिनांक 21.03.2023 जो कि उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर के यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सभी सम्बन्धित उप पंजीयक को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर को भेजकर लेख है विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/H के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1808 दिनांक 21.03.2023 जो कि आपके यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6. थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर (उत्तर)
7. श्री आदर्श मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर
8. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पट्टे को रद्द करने की आम सूचना दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित करायी जावे।
9. रक्षित यत्रावली

(शैलजा कुशाग्र)-2

उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(0141-2574768) (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-257455



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-1016

दिनांक 5-5-23

पट्टा विलेख निरस्तीकरण आदेश

राजस्व ग्राम बीड सरकारी तहसील जयपुर की अवाप्त भूमि के बदले खसरा नम्बर 174/249 रकबा 20 बीघा में से हिस्सा 1/5 के खातेदारों/हितधारियों को मुआवजा स्वरूप पी.डब्ल्यू.सी.की बैंड 02/2023-24 दिनांक 17.02.2023 के एजेण्डा नम्बर 24 के निर्णय के क्रम में योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित गुप हाके भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर भूखण्ड संख्या 6/H/II/M क्षेत्रफल 218.50 वर्ग मी. का आवंटन पत्र क्रमांक 615 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 659 दिनांक 16.03.2023 एवं फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1802 दिनांक 21.03.2023 को श्रीमती शान्ति मीणा पत्नी स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया था।

थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर जयपुर उत्तर से प्राप्त पत्र क्रमांक 3449-50 दिनांक 29.04.2023 (प्राप्ति दिनांक 01.05.2023) अनुसार प्राप्त पत्र में अंकित किया गया कि श्री एस0एस10 गौड़ निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने एक रिपोर्ट भारतीय सर्वेक्षण विभाग जयपुर के नाम से सेक्टर नम्बर 6 विद्याधर नगर में स्थित जमीन 7747.21 वर्गमीटर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उक्त के सम्बन्ध में जेडीए द्वारा जारी संशोधित लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 2188 दिनांक 10.07.1997 व साईट प्लान की फोटो प्रति रिकार्ड पेश किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वयं की बतायी जा रही जमीन को राहुल मीणा निवासी 02 मीणा कॉलोनी गंगापोल जयपुर नामक व अन्य व्यक्तियों को जेडीए से अवाप्त भूमि के बदले निःशुल्क अलॉट करना बता रहे हैं।

प्राप्त पत्र के परीक्षण उपरान्त संज्ञान में आया कि योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित गुप हाके भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा आवंटन को जारी किया गया था, जबकि उपरोक्त भूखण्ड की भूमि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को पूर्व में दिनांक 28.08.1989 को आवंटित है। अतः प्रकरण दोहरा आवंटन का होने से आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा निरस्त करने योग्य है।

लगातार.....

उपायुक्त जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रैल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर भूखण्डधारी/आवंटी को जोन कार्यालय के पट्टा विलेख निरस्तीकरण बाबत सूचना क्रमांक डी-1304 दिनांक 03.05.2023 द्वारा उक्त भूखण्ड के समर्थन में दिनांक 04.05.2023 को दोपहर 3.00 बजे जोन उपायुक्त एवं प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु समस्त मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 04.05.2023 को उक्त भूखण्ड के भूखण्डधारी के प्रतिनिधि श्री प्रभु दयाल मीणा उपस्थित हुए और उनके द्वारा उक्त भूखण्ड के जारी आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फी होल्ड पट्टा मूल प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उक्त भूखण्ड निरस्त किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त भूखण्ड के स्थान पर उपलब्धता के आधार पर अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रैल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4 -जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार

20/7/23
विधाधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/M क्षेत्रफल 218.50 वर्ग मी. का आवंटन पत्र क्रमांक 615 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 659 दिनांक 16.03.2023 एवं फी होल्ड पट्टा क्रमांक 1802 दिनांक 21.03.2023 को श्रीमती शान्ति मीणा पत्नी स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया को प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन मानते हुए एतद्वारा रद्द किया जाता है।


उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ जारी पट्टे के जारी होने की तिथि से उपरोक्त रद्दकरण आदेश जारी करने की तिथि तक प्रश्नगत भूखण्ड या इसके किसी भाग पर यदि किसी तृतीय पक्षकार के हित निहित हो गये है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्रीमती शान्ति मीणा पत्नी स्व. श्री रामनारायण मीणा की होगी। जयपुर विकास प्राधिकरण किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।

उपायुक्त (जोन-2)
जयपुर
जयपुर, जिला-जयपुर एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर, जयपुर

लगातार.....

प्रतिलिपि : सूचनार्थ प्रेषित है

1. श्रीमान् आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उपमहानिरीक्षक, मुद्रांक वृत्त, प्रथम, वृत्त द्वितीय, वृत्त तृतीय, जयपुर को भेजकर लेख है विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/M के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1802 दिनांक 21.03.2023 जो कि उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर के यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सभी सम्बन्धित उप पंजीयक को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर को भेजकर लेख है विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/M के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1802 दिनांक 21.03.2023 जो कि आपके यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6. थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर (उत्तर)
7. श्रीमती शान्ति मीणा पत्नी स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर
8. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पट्टे को रद्द करने की आम सूचना दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित करायी जवें
9. रक्षित पत्रावली


(श्री. प्रवीण कुमार)2
उपायुक्त, जोन-2 एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर, जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-257455



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी- 1017

दिनांक 5-5-23

पट्टा विलेख निरस्तीकरण आदेश

राजस्व ग्राम बीड सरकारी तहसील जयपुर की अवाप्त भूमि के बदले खसरा नम्बर 174/249 रकबा 20 बीघा में से हिस्सा 1/5 के खातेदारों/हितधारियों को मुआवजा स्वरूप पी.डब्ल्यू.सी.की बैठक 02/2023-24 दिनांक 17.02.2023 के एजेण्डा नम्बर 24 के निर्णय के क्रम में योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर भूखण्ड संख्या 6/H/II/J क्षेत्रफल 218.50 वर्गमी. का आवंटन पत्र क्रमांक 610 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 661 दिनांक 16.03.2023 एवं फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1806 दिनांक 21.03.2023 को श्रीमती आरती मीणा पुत्री स्व. श्री रामनारायण मीणा पत्नी श्री हरीश कुमार मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया था।

थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर जयपुर उत्तर से प्राप्त पत्र क्रमांक 3449-50 दिनांक 29.04.2023 (प्राप्ति दिनांक 01.05.2023) अनुसार प्राप्त पत्र में अंकित किया गया कि श्री एस0एस10 गौड निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने एक रिपोर्ट भारतीय सर्वेक्षण विभाग जयपुर के नाम से सेक्टर नम्बर 6 विद्याधर नगर में स्थित जमीन 7747.21 वर्गमीटर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उक्त के सम्बन्ध में जेडीए द्वारा जारी संशोधित लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 2188 दिनांक 10.07.1997 व साईट प्लान की फोटो प्रति रिकार्ड पेश किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वयं की बतायी जा रही जमीन को राहुल मीणा निवासी 02 मीणा कॉलोनी गंगापोल जयपुर नामक व अन्य व्यक्तियों को जेडीए से अवाप्त भूमि के बदले निःशुल्क अंलाट करना बता रहे है।

प्राप्त पत्र के परीक्षण उपरान्त संज्ञान में आया कि योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा आवंटी को जारी किया गया था, जबकि उपरोक्त भूखण्ड की भूमि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को पूर्व में दिनांक 28.08.1989 को आवंटित है। अतः प्रकरण दोहरा आवंटन का होने से आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा निरस्त करने योग्य है।

2/1

लगातार.....

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर भूखण्डधारी/आवंटी को जोन कार्यालय के पट्टा विलेख निरस्तीकरण बाबत सूचना क्रमांक डी-999 दिनांक 03.05.2023 द्वारा उक्त भूखण्ड के समर्थन में दिनांक 04.05.2023 को दोपहर 3.00 बजे जोन उपायुक्त एवं प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु समस्त मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 04.05.2023 को उक्त भूखण्ड के भूखण्डधारी के प्रतिनिधि श्री प्रभु दयाल मीणा उपस्थित हुए और उनके द्वारा उक्त भूखण्ड के जारी आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा मूल प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उक्त भूखण्ड निरस्त किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त भूखण्ड के स्थान पर उपलब्धता के आधार पर अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4 -जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार

पर विधाधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/J क्षेत्रफल 218.50 व.मी. का आवंटन पत्र क्रमांक 610 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 661 दिनांक 16.03.2023 एवं फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1806 दिनांक 21.03.2023 को श्रीमती आरती मीणा पुत्री स्व. श्री रामनारायण मीणा पत्नी श्री हरीश कुमार मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया को प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन मानते हुए एतद्वारा रद्द किया जाता है।

उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ जारी पट्टे के जारी होने की तिथि से उपरोक्त रद्दकरण आदेश जारी करने की तिथि तक प्रश्नगत भूखण्ड या इसके किसी भाग पर यदि किसी तृतीय पक्षकार के हित निहित हो गये हैं तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्रीमती आरती मीणा पुत्री स्व. श्री रामनारायण मीणा पत्नी श्री हरीश कुमार मीणा की होगी, जयपुर विकास प्राधिकरण किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।

(शैफाली कुशवाहा)
उपायुक्त, जोन-2 एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

लगातर.....

प्रतिलिपि : सूचनार्थ प्रेषित है

1. श्रीमान् आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उपमहानिरीक्षक, मुद्रांक वृत्त, प्रथम, वृत्त द्वितीय, वृत्त तृतीय, जयपुर को भेजकर लेख है विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/J के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1806 दिनांक 21.03.2023 जो कि उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर के यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सभी सम्बन्धित उप पंजीयक को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर को भेजकर लेख है विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/J के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1806 दिनांक 21.03.2023 जो कि आपके यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6. थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर (उत्तर)
7. श्रीमती आरती मीणा पुत्री स्व. श्री रामनारायण मीणा पत्नी श्री हरीश कुमार मीणा गिवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर
8. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पट्टे को रद्द करने की आम सूचना दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित करायी जावें।
9. रक्षित पत्रावली



(शैफाली कुशवाह)
उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(C141-2574768) (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-257455



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-1016


दिनांक 5.5.23

पट्टा विलेख निरस्तीकरण आदेश

राजसव ग्राम बीड सरकारी तहसील जयपुर की अवाप्त भूमि के बदले खराश नम्बर 174/249 रकबा 20 बीघा में से हिस्सा 1/5 के खातेदारों/हितधारियों को मुआवजा स्वरूप पी.डब्ल्यू.सी.की बैठक 02/2023-24 दिनांक 17.02.2023 के एजेण्डा नम्बर 24 के निर्णय के क्रम में योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर भूखण्ड, संख्या 6/H/II/L क्षेत्रफल 218.50 वर्गमी. का आवंटन पत्र क्रमांक 608 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 663 दिनांक 16.03.2023 एवं फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1809 दिनांक 21.03.2023 को श्री राहुल मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया था।

थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर जयपुर उत्तर से प्राप्त पत्र क्रमांक 3449-50 दिनांक 29.04.2023 (प्राप्ति दिनांक 01.05.2023) अनुसार प्राप्त पत्र में अंकित किया गया कि श्री एस0एस10 गौड़ निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने एक रिपोर्ट भारतीय सर्वेक्षण विभाग जयपुर के नाम से सेक्टर नम्बर 6 विद्याधर नगर में स्थित जमीन 7747.21 वर्गमीटर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उक्त के सम्बन्ध में जेडीए द्वारा जारी संशोधित लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 2188 दिनांक 10.07.1997 व साईट प्लान की फोटो प्रति रिकार्ड पेश किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वयं की बतायी जा रही जमीन को राहुल मीणा निवासी 02 मीणा कॉलोनी गंगापोल जयपुर नामक व अन्य व्यक्तियों को जेडीए से अवाप्त भूमि के बदले निःशुल्क अलॉट करना बता रहे हैं।

प्राप्त पत्र के परीक्षण उपरान्त संज्ञान में आया कि योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा आवंटी को जारी किया गया था, जबकि उक्त भूखण्ड की भूमि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को पूर्व में दिनांक 28.08.1989 को आवंटित है। अतः प्रकृत दोहरा आवंटन का होने से आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा निरस्त करने योग्य है।


उपायुक्त जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर भूखण्डधारी/आवंटी को जोन कार्यालय के पट्टा विलेख निरस्तीकरण बाबत सूचना क्रमांक डी-997 दिनांक 03.05.2023 द्वारा उक्त भूखण्ड के समर्थन में दिनांक 04.05.2023 को दोपहर 3.00 बजे जोन उपायुक्त एवं प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु समस्त मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 04.05.2023 को उक्त भूखण्ड के भूखण्डधारी के प्रतिनिधि श्री प्रभु दयाल मीणा उपस्थित हुए और उनके द्वारा उक्त भूखण्ड के जारी आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा मूल प्रस्तुत करके हुए निवेदन किया गया कि उक्त भूखण्ड निरस्त किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त भूखण्ड के स्थान पर उपलब्धता के आधार पर अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4 -जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर विधाधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/L क्षेत्रफल 218.50 वर्ग मी. का आवंटन पत्र क्रमांक 608 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 663 दिनांक 16.03.2023 एवं फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1809 दिनांक 21.03.2023 को श्री राहुल मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया को प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन मानते हुए एतद्वारा रद्द किया जाता है।

उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ जारी पट्टे के जारी होने की तिथि से उपरोक्त रद्दकरण आदेश जारी करने की तिथि तक प्रश्नगत भूखण्ड या इसके किसी भाग पर यदि किसी तृतीय पक्षकार के हित निहित हो गये हैं तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी, श्री राहुल मीणा, पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा की होगी, जयपुर विकास प्राधिकरण किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।

उपायुक्त जोन-2
जयपुर (विशेष प्राधिकरण) जयपुर
उपायुक्त, जोन-2 एवं प्राधिकृत अधिकारी
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि : सूचनार्थ प्रेषित है

1. श्रीमान् आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उपमहानिरीक्षक, मुद्रांक वृत्त, प्रथम, वृत्त द्वितीय, वृत्त तृतीय, जयपुर को भेजकर लेख है विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/L के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1809 दिनांक 21.03.2023 जो कि उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर के यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सभी सम्बन्धित उप पंजीयक को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर को भेजकर लेख है विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/L के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1809 दिनांक 21.03.2023 जो कि आपके यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6. थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर (उत्तर)
6. श्री राहुल मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पट्टे को रद्द करने की आम सूचना दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित करायी जावे।
8. रक्षित पत्रावली

२

(शैफाली कुशवाहा)
उपायुक्त, जोन-2 एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-257455



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी- 1015


दिनांक 5-5-23

पट्टा विलेख निरस्तीकरण आदेश

राजस्थान ग्राम बीड सरकारी तहसील जयपुर की अवाप्त भूमि के बदले खसरा नम्बर 174/249 रकबा 20 बीघा में से हिस्सा 1/5 के खातेदारों/हितधारियों को मुआवजा स्वरूप पी.डब्ल्यू.सी.की बैठक 02/2023-24 दिनांक 17.02.2023 के एजेण्डा नम्बर 24 के निर्णय के क्रम में योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर भूखण्ड संख्या 6/H/II/N क्षेत्रफल 352.70 वर्ग मी. का आवंटन पत्र क्रमांक 616 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 660 दिनांक 16.03.2023 एवं फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1805 दिनांक 21.03.2023 को श्रीमती मंगली देवी मीणा पुत्री स्व. श्री बिरदीचन्द मीणा पत्नी श्री कालूराम मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया था।

थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर जयपुर उत्तर से प्राप्त पत्र क्रमांक 3449-50 दिनांक 29.04.2023 (प्राप्ति दिनांक 01.05.2023) अनुसार प्राप्त पत्र में अंकित किया गया कि श्री एस0एस0 गौड निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने एक रिपोर्ट भारतीय सर्वेक्षण विभाग जयपुर के नाम से सेक्टर नम्बर 6 विद्याधर नगर में स्थित जमीन 7747.21 वर्गमीटर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उक्त के सम्बन्ध में जेडीए द्वारा जारी संशोधित लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 2188 दिनांक 10.07.1997 व साईट प्लान की फोटो प्रति रिकार्ड पेश किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वयं की बतायी जा रही जमीन को राहुल मीणा निवासी 02 मीणा कॉलोनी गंगापोल जयपुर नामक व अन्य व्यक्तियों को जेडीए से अवाप्त भूमि के बदले निःशुल्क अलॉट करना बता रहे हैं।

प्राप्त पत्र के परीक्षण उपरान्त संज्ञान में आया कि योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा आवंटि को जारी किया गया था, जबकि उक्त भूखण्ड की भूमि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को पूर्व में दिनांक 28.08.1989 को आवंटित है। अतः प्रकरण दोहरा आवंटन का होने से आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा निरस्त करने योग्य है।


अपायुक्त जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

लगातार.....

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर भूखण्डधारी/आवंटी को जोन कार्यालय के पट्टा विलेख निरस्तीकरण बाबत सूचना क्रमांक डी-1003 दिनांक 03.05.2023 द्वारा उक्त भूखण्ड के समर्थन में दिनांक 04.05.2023 को दोपहर 3.00 बजे जोन उपायुक्त एवं अधिकारी अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु समस्त मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 04.05.2023 को उक्त भूखण्ड के भूखण्डधारी के प्रतिनिधि श्री प्रभु दयाल मीणा उपस्थित हुए और उनके द्वारा उक्त भूखण्ड के जारी आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा मूल प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उक्त भूखण्ड निरस्त किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त भूखण्ड के स्थान पर उपलब्धता के आधार पर अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4 -जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर विधाधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/N क्षेत्रफल 352.70 वर्ग मी. का आवंटन पत्र क्रमांक 616 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 660 दिनांक 16.03.2023 एवं फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1805 दिनांक 21.03.2023 को श्रीमती मंगली देवी मीणा पुत्री स्व. श्री बिरदीचन्द मीणा पत्नी श्री कालूराम मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया को प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन मानते हुए एतद्वारा रद्द किया जाता है।

उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ जारी पट्टे के जारी होने की तिथि से उपरोक्त रद्दकरण आदेश जारी करने की तिथि तक प्रश्नगत भूखण्ड या इसके किसी भाग पर यदि किसी तृतीय पक्षकार के हित निहित हो गये है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्रीमती मंगली देवी मीणा पुत्री स्व. श्री बिरदीचन्द मीणा पत्नी श्री कालूराम मीणा की होगी, जयपुर विकास प्राधिकरण किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।

(श्रीमती कुशुमा) 2
उपायुक्त, जोन-2 एवं अधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर, जयपुर

लगातार.....

प्रतिलिपि : सूचनार्थ प्रेषित है

1. श्रीमान् आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उपमहानिरीक्षक, मुद्रांक वृत्त, प्रथम, वृत्त द्वितीय, वृत्त तृतीय, जयपुर को भेजकर लेख है विधाधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/N के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1805 दिनांक 21.03.2023 जो कि उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर के यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सभी सम्बन्धित उप पंजीयक को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर को भेजकर लेख है विधाधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/N के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1805 दिनांक 21.03.2023 जो कि आपके यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6. थानाधिकारी, पुलिस थाना विधाधर नगर, जयपुर (उत्तर)
7. श्रीमती. मंगली देवी मीणा पुत्री स्व. श्री बिरदीचन्द मीणा पत्नी श्री कालूराम मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर
8. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पट्टे को रद्द करने की आम सूचना दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित करायी जावे।
9. रक्षित पत्रावली



(श्रीमती कुशवाहा-2
उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-257455



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-1011

दिनांक 5-5-23

पट्टा विलेख निरस्तीकरण आदेश

राजस्व ग्राम बीड सरकारी तहसील जयपुर की अवाप्त भूमि के बदले खसरा नम्बर 174/249 रकबा 20 बीघा में से हिस्सा 1/5 के खातेदारों/हितधारियों को मुआवजा स्वरूप पी.डब्ल्यू.सी.की बैरक 02/2023-24 दिनांक 17.02.2023 के एजेण्डा नम्बर 24 के निर्णय के क्रम में योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर भूखण्ड संख्या 6/H/II/K क्षेत्रफल 218.50 वर्गमी. का आवंटन पत्र क्रमांक 607 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 662 दिनांक 16.03.2023 एवं फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1807 दिनांक 21.03.2023 को श्री राकेश मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया था।

थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर जयपुर उत्तर से प्राप्त पत्र क्रमांक 3449-50 दिनांक 29.04.2023 (प्राप्ति दिनांक 01.05.2023) अनुसार प्राप्त पत्र में अंकित किया गया कि श्री एस10एस10 गौड़ निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने एक रिपोर्ट भारतीय सर्वेक्षण विभाग जयपुर के नाम से सेक्टर नम्बर 6 विद्याधर नगर में स्थित जमीन 7747.21 वर्गमीटर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उक्त के सम्बन्ध में जेडीए द्वारा जारी संशोधित लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 2188 दिनांक 10.07.1997 व साईट प्लान की फोटो प्रति रिकार्ड पेश किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वयं की बतायी जा रही जमीन को राहुल मीणा निवासी 02 मीणा कॉलोनी गंगापोल जयपुर नामक व अन्य व्यक्तियों को जेडीए से अवाप्त भूमि के बदले निःशुल्क अंलाट करना बता रहे हैं।

प्राप्त पत्र के परीक्षण उपरान्त संज्ञान में आया कि योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा आवंटनी को जारी किया गया था, जबकि उक्त भूखण्ड की भूमि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को पूर्व में दिनांक 28.08.1989 को आवंटित है। अतः प्रकरण दोहरा आवंटन का होने से आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा निरस्त करने योग्य है।

उपायुक्त जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

लगातार.....

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर भूखण्डधारी/आवंटी को जोन कार्यालय के पट्टा विलेख निरस्तीकरण बाबत सूचना क्रमांक डी-996 दिनांक 03.05.2023 द्वारा उक्त भूखण्ड के समर्थन में दिनांक 04.05.2023 को दोपहर 3.00 बजे जोग उपायुक्त एवं प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु समस्त मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 04.05.2023 को उक्त भूखण्ड के भूखण्डधारी के प्रतिनिधि श्री प्रभु दयाल भीणा उपस्थित हुए और उनके द्वारा उक्त भूखण्ड के जारी आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा मूल प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उक्त भूखण्ड निरस्त किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त भूखण्ड के स्थान पर उपलब्धता के आधार पर अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4 -जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर विधाधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/K क्षेत्रफल 218.50 वर्ग मी. का आवंटन पत्र क्रमांक 607 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 662 दिनांक 16.03.2023 एवं फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1807 दिनांक 21.03.2023 को श्री राकेश मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया को प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन मानते हुए एतद्वारा रद्द किया जाता है।

उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ जारी पट्टे के जारी होने की तिथि से उपरोक्त रद्दकरण आदेश जारी करने की तिथि तक प्रश्नगत भूखण्ड या इसके किसी भाग पर यदि किसी तृतीय पक्षकार के हित निहित हो गये है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्री राकेश मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा की होगी, जयपुर विकास प्राधिकरण किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।


2

(शैफाली कुशवाह)
उपायुक्त, जोन-2 एवं प्राधिकृत अधिकारी
जविप्रा, जयपुर

लगातार.....

प्रतिलिपि : सूचनार्थ प्रेषित है

1. श्रीमान् आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उपमहानिरीक्षक, मुद्रांक वृत्त, प्रथम, वृत्त द्वितीय, वृत्त तृतीय, जयपुर को भेजकर लेख है विधाधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/K के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1807 दिनांक 21.03.2023 जो कि उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर के यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सभी सम्बन्धित उप पंजीयक को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर को भेजकर लेख है विधाधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/K के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1807 दिनांक 21.03.2023 जो कि आपके यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6. थानाधिकारी, पुलिस थाना विधाधर नगर, जयपुर (उत्तर)
7. श्री राकेश मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर
8. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पट्टे को रद्द करने की आम सूचना दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित करायी जावे।
9. रक्षित पत्रावली


(श्रीमती जयमणि)
उपायुक्त जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकारी
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(0141-2574768) (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-257455



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-1012


दिनांक 5-5-23

पट्टा विलेख निरस्तीकरण आदेश

राजस्व ग्राम बीड सरकारी तहसील जयपुर की अवाप्त भूमि के बदले खसरा नम्बर 174/249 रकबा 20 बीघर में से हिस्सा 1/5 के खातेदारों/हितधारियों को मुआवजा स्वरूप पी.डब्ल्यू.सी.की बैठक 02/2023-24 दिनांक 17.02.2023 के एजेण्डा नम्बर 24 के निर्णय के क्रम में योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर भूखण्ड संख्या 6/H/II/P क्षेत्रफल 217.75 वर्गमी. का आवंटन पत्र क्रमांक 614 दिनांक 09.03.2023 को श्रीमती सुनीता पुत्री स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया था।

थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर जयपुर उत्तर से प्राप्त पत्र क्रमांक 3449-50 दिनांक 29.04.2023 (प्राप्ति दिनांक 01.05.2023) अनुसार प्राप्त पत्र में अंकित किया गया कि श्री एस0एस0 गौड निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने एक रिपोर्ट भारतीय सर्वेक्षण विभाग जयपुर के नाम से सेक्टर नम्बर 6 विद्याधर नगर में स्थित जमीन 7747.21 वर्गमीटर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उक्त के सम्बन्ध में जेडीए द्वारा जारी संशोधित लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 2188 दिनांक 10.07.1997 व साईट प्लान की फोटो प्रति रिकार्ड पेश किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वयं की बतायी जा रही जमीन को राहुल मीणा निवासी 02 मीणा कॉलोनी गंगापोल जयपुर नामक व अन्य व्यक्तियों को जेडीए से अवाप्त भूमि के बदले निःशुल्क अलॉट करना बता रहे हैं।

प्राप्त पत्र के परीक्षण उपरान्त संज्ञान में आया कि योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा आवंटि को जारी किया गया था, जबकि उक्त भूखण्ड की भूमि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को पूर्व में दिनांक 28.08.1989 को आवंटित है। अतः प्रकरण दोहरा आवंटन का होने से आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा निरस्त करने योग्य है।


जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर


लगातार.....

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर भूखण्डधारी/आवंटी को जोन कार्यालय के पट्टा विलेख निरस्तीकरण बाबत सूचना क्रमांक डी-998 दिनांक 03.05.2023 द्वारा उक्त भूखण्ड के समर्थन में दिनांक 04.05.2023 को दोपहर 3.00 बजे जोन उपायुक्त एवं प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु समस्त मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 04.05.2023 को उक्त भूखण्ड के भूखण्डधारी के प्रतिनिधि श्री प्रभु दयाल मीणा उपस्थित हुए और उनके द्वारा उक्त भूखण्ड के जारी आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा मूल प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उक्त भूखण्ड निरस्त किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त भूखण्ड के स्थान पर उपलब्धता के आधार पर अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4 -जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर विधाधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/P क्षेत्रफल 217.75 वर्गमी. का आवंटन पत्र क्रमांक 614 दिनांक 09.03.2023 को श्रीमती सुनीता पुत्री स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया को प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन मानते हुए एतद्वारा रद्द किया जाता है।

उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ जारी पट्टे के जारी होने की तिथि से उपरोक्त रद्दकरण आदेश जारी करने की तिथि तक प्रश्नगत भूखण्ड या इसके किसी भाग पर यदि किसी तृतीय पक्षकार के हित गिहित हो गये है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्रीमती सुनीता पुत्री स्व. श्री रामनारायण मीणा की होगी, जयपुर विकास प्राधिकरण किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।


जयपुर
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर

लगातार.....

प्रतिलिपि : सूचनार्थ प्रेषित है

1. श्रीमान् आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर (उत्तर)
5. श्रीमती सुनीता पुत्री स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पट्टे को रद्द करने की आम सूचना दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित करायी जावे।
7. रक्षित पत्रावली



(शैफाली कुशवाह)
उपायुक्त, जोन-2 एवं प्राधिकृत अधिकारी
जविप्रा, जयपुर

=====
राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष—(0141-2574768) (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-257455



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-1013


दिनांक 5-5-23

पट्टा विलेख निरस्तीकरण आदेश

राजस्व ग्राम बीड सरकारी तहसील जयपुर की अवाप्त भूमि के बदले खसरा नम्बर 174/249 रकबा 20 बीघा में से हिस्सा 1/5 के खातेदारों/हितधारियों को मुआवजा स्वरूप पी.डब्ल्यू.सी.की बैटक 02/2023-24 दिनांक 17.02.2023 के एजेण्डा नम्बर 24 के निर्णय के क्रम में योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर भूखण्ड संख्या 6/H/II/O क्षेत्रफल 381.84 वर्ग मी. का आवंटन पत्र क्रमांक 613 दिनांक 09.03.2023 को श्रीमती मंगली देवी मीणा पत्नी श्री कालूराम मीणा पुत्री स्व. श्री बिरधीचन्द्र मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया था।

थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर जयपुर उत्तर से प्राप्त पत्र क्रमांक 3449-50 दिनांक 29.04.2023 (प्राप्ति दिनांक 01.05.2023) अनुसार प्राप्त पत्र में अंकित किया गया कि श्री एस0एस0 गौड़ निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने एक रिपोर्ट भारतीय सर्वेक्षण विभाग जयपुर के नाम से सेक्टर नम्बर 6 विद्याधर नगर में स्थित जमीन 7747.21 वर्गमीटर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उक्त के सम्बन्ध में जेडीए द्वारा जारी संशोधित लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 2198 दिनांक 10.07.1997 व साईट प्लान की फोटो प्रति रिकार्ड पेश किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वयं की बतायी जा रही जमीन को राहुल मीणा निवासी 02 मीणा कॉलोनी गंगापोल जयपुर नामक व अन्य व्यक्तियों को जेडीए से अवाप्त भूमि के बदले निःशुल्क अलॉट करना बता रहे हैं।

प्राप्त पत्र के परीक्षण उपरान्त संज्ञान में आया कि योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित ग्रुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा आवंटी को जारी किया गया था, जबकि उपरोक्त भूखण्ड की भूमि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को पूर्व में दिनांक 28.08.1989 को आवंटित है। अतः प्रकल्पित दोहरा आवंटन का होने से आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा निरस्त करने योग्य है।


उपायुक्त जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

लगातार.....

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर भूखण्डधारी/आवंटी को जोन कार्यालय के पट्टा विलेख निरस्तीकरण बाबत सूचना क्रमांक डी-1000 दिनांक 03.05.2023 द्वारा उक्त भूखण्ड के समर्थन में दिनांक 04.05.2023 को दोपहर 3.00 बजे जोन उपायुक्त एवं प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु समस्त मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 04.05.2023 को उक्त भूखण्ड के भूखण्डधारी के प्रतिनिधि श्री प्रभु दयाल मीणा उपस्थित हुए और उनके द्वारा उक्त भूखण्ड के जारी आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा मूल प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उक्त भूखण्ड निरस्त किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त भूखण्ड के स्थान पर संपलब्धता के आधार पर अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4 -जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार

पर विधाधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/O क्षेत्रफल 381.84 वर्ग मी. का आवंटन पत्र क्रमांक 613 दिनांक 09.03.2023 को श्रीमती मंगली देवी मीणा पत्नी श्री कालूराम मीणा पुत्री स्व. श्री बिरधीचन्द मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया को प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन मानते हुए एतद्वारा रद्द किया जाता है।

उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ जारी पट्टे के जारी होने की तिथि से उपरोक्त रद्दकरण आदेश जारी करने की तिथि तक प्रश्नगत भूखण्ड या इसके किसी भाग पर यदि किसी तृतीय पक्षकार के हित निश्चित हो गये हैं तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्रीमती मंगली देवी मीणा पत्नी श्री कालूराम मीणा पुत्री स्व. श्री बिरधीचन्द मीणा की होगी, जयपुर विकास प्राधिकरण किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।

2
उपायुक्त जोन-2
(श्रीमती केशवाह)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
उपायुक्त जोन-2 एवं प्राधिकृत अधिकारी
जविप्रा, जयपुर

लगातार.....

प्रतिलिपि : सूचनार्थ प्रेषित है

1. श्रीमान् आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर (उत्तर)
5. श्रीमती संगली देवी भीणा पत्नी श्री कालूराम भीणा पुत्री स्व. श्री बिरधीचन्द भीणा निवासी 02, भीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पट्टे को रद्द करने की आम सूचना दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित करायी जायें।
7. रक्षित पत्रावली

9
(शैफाली कुशावह) न-2
उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकारी
जयपुर, जयपुर

=====

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-257455



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-1014


दिनांक 5-5-23

पट्टा विलेख निरस्तीकरण आदेश

राजस्व ग्राम बीड सरकारी तहसील जयपुर की अवाप्त भूमि के बदले खसरा नम्बर 174/249-रकबा 20 बीघा में से हिस्सा 1/5 के खातेदारों/हितधारियों को मुआवजा स्वरूप पी.डब्ल्यू.सी.की बैठक 02/2023-24 दिनांक 17.02.2023 के एजेण्डा नम्बर 24 के निर्णय के क्रम में योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित गुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर भूखण्ड संख्या 6/H/II/I क्षेत्रफल 218.50 वर्गमी. का आवंटन पत्र क्रमांक 609 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 666 दिनांक 16.03.2023 एवं फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1803 दिनांक 21.03.2023 को श्री आनन्द मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया था।

थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर जयपुर उत्तर से प्राप्त पत्र क्रमांक 3449-50 दिनांक 29.04.2023 (प्राप्ति दिनांक 01.05.2023) अनुसार प्राप्त पत्र में अंकित किया गया कि श्री एस0एस0 गौड निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने एक रिपोर्ट भारतीय सर्वेक्षण विभाग जयपुर के नाम से सेक्टर नम्बर 6 विद्याधर नगर में स्थित जमीन 7747.21 वर्गमीटर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उक्त के सम्बन्ध में जेडीए द्वारा जारी संशोधित लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 2188 दिनांक 10.07.1997 व साईट प्लान की फोटो प्रति रिकार्ड पेश किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वयं की बतायी जा रही जमीन को राहुल मीणा निवासी 02 मीणा कॉलोनी गंगापोल जयपुर नामक व अन्य व्यक्तियों को जेडीए से अवाप्त भूमि के बदले निःशुल्क अंलाट करना बता रहे है।

प्राप्त पत्र के परीक्षण उपरान्त संज्ञान में आया कि योजना विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 6 में स्थित गुप हा.के भूखण्ड का स्कीम रिविजन कर छोटे आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर उरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा आवंटी को जारी किया गया था, जबकि उक्त भूखण्ड की भूमि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को पूर्व में दिनांक 28.08.1989 को आवंटित है। अतः प्रकरण दोहरा आवंटन का होने से आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा निरस्त करने योग्य है।


उपायुक्त जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

लगातार.....

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर भूखण्डधारी/आवंटी को जोन कार्यालय के पट्टा विलेख निरस्तीकरण बाबत सूचना क्रमांक डी-1005 दिनांक 03.05.2023 द्वारा उक्त भूखण्ड के समर्थन में दिनांक 04.05.2023 को दोपहर 3.00 बजे जोन उपायुक्त एवं प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु समस्त मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 04.05.2023 को उक्त भूखण्ड के भूखण्डधारी के प्रतिनिधि श्री प्रभु दयाल मीणा उपस्थित हुए और उनके द्वारा उक्त भूखण्ड के जारी आवंटन पत्र/कब्जा पत्र/फ्री होल्ड पट्टा मूल प्रस्तुत करके हुए निवेदन किया गया कि उक्त भूखण्ड निरस्त किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त भूखण्ड के स्थान पर उपलब्धता के आधार पर अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान राजपत्र विशेषांक चैत्र 25, गुरुवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4 -जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दु संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54 घ का अंतः स्थापन- आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर विधाधर नगर योजना के सेक्टर-नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/I क्षेत्रफल 218.50 वर्ग मी. का आवंटन पत्र क्रमांक 609 दिनांक 09.03.2023/कब्जा पत्र क्रमांक 666 दिनांक 16.03.2023 एवं फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1303 दिनांक 21.03.2023 को श्री आनन्द मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर को जारी किया गया को प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन मानते हुए एतद्वारा रद्द किया जाता है।

उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ जारी पट्टे के जारी होने की तिथि से उपरोक्त रद्दकरण आदेश जारी करने की तिथि तक प्रश्नगत भूखण्ड या इसके किसी भाग पर यदि किसी तृतीय पक्षकार के हित निहित हो गये है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्री आनन्द मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा की होगी, जयपुर विकास प्राधिकरण किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।


(श्री प्रभु दयाल मीणा-2)

उपायुक्त, जयपुर-2
जयपुर प्राधिकरण अधिकारी
जयपुर, जयपुर

लगातार.....

प्रतिलिपि : सूचनार्थ प्रेषित है

1. श्रीमान् आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उपमहानिरीक्षक, मुद्रांक वृत्त, प्रथम, वृत्त द्वितीय, वृत्त तृतीय, जयपुर को भेजकर लेख है विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/I के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1803 दिनांक 21.03.2023 जो कि उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर के यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सभी सम्बन्धित उप पंजीयक को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. उप-पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, आमेर, जयपुर को भेजकर लेख है विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-6 के भूखण्ड संख्या 6/H/II/I के जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 1803 दिनांक 21.03.2023 जो कि आपके यहाँ दिनांक 30.03.2023 को रजिस्टर्ड है को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6. थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर (उत्तर)
7. श्री आनन्द मीणा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीणा निवासी 02, मीणा कॉलोनी, गंगापोल जयपुर
8. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पट्टे का रद्द करने को आम सूचना दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित करायी जावें।
9. रक्षित पत्रावली


(शंफाली कुशवाह)
उपायुक्त, जोन-2 एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-257455



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2023/डी-1046

दिनांक:- 16/5/23

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-बिलौची, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 1995/1500 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, 1997/1501 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, 2003/1504 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, 2005/1505 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, 2011/1509 रकबा 0.2200 हेक्टेयर, 2014/1510 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, 2016/1511 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, 2018/1512 रकबा 0.1300 हेक्टेयर, 2020/1513 हेक्टेयर, 2022/1514 रकबा 0.0900 हेक्टेयर किता-10 कुल रकबा 1.0500 हेक्टेयर भूमि **रिसोर्ट प्रयोजनार्थ** प्राप्त आवेदन के क्रम में लोक सूचना जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व ग्राम-बिलौची, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 1995/1500 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, 1997/1501 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, 2003/1504 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, 2005/1505 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, 2011/1509 रकबा 0.2200 हेक्टेयर, 2014/1510 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, 2016/1511 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, 2018/1512 रकबा 0.1300 हेक्टेयर, 2020/1513 हेक्टेयर, 2022/1514 रकबा 0.0900 हेक्टेयर किता-10 कुल रकबा 1.0500 हेक्टेयर भूमि **रिसोर्ट प्रयोजनार्थ** धारा 90ए की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु संलग्न लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फोंट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि-श्री नन्दकिशोर, चैनप्रकाश, फूलचन्द एवं सत्यनारायण पुत्रान् श्री रतन लाल जाति-रैगर, निवासी-रैगरो का मौहल्ला, ग्राम-बिलौची, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

**प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2023/डी-1046

दिनांक: 16/5/23


लोक सूचना

किशोर, चैनप्रकाश, फूलचन्द एवं सत्यनारायण पुत्रान् श्री रतन लाल जाति-रैगर, निवासी-रैगरो का मौहल्ला, ग्राम-बिलौची, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (रिसोर्ट) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टै.)	स्वामित्व
तहसील-आमेर जिला-जयपुर	बिलौची	1995 / 1500	0.0400	1. किशोर पुत्र रतनलाल 2. चेतनप्रकाश पुत्र रतनलाल 3. फूलचन्द पुत्र रतनलाल 4. सत्यनारायण पुत्र रतनलाल
		1997 / 1501	0.0500	
		2003 / 1504	0.0500	
		2005 / 1505	0.0500	
		2011 / 1509	0.2200	
		2014 / 1510	0.1200	
		2016 / 1511	0.1100	
		2018 / 1512	0.1300	
		2020 / 1513	0.1900	
		2022 / 1514	0.0900	
			किता-10	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16/5/23 को जारी की गयी।


 प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
 जयपुर विकास प्राधिकरण,
 जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी-1601

दिनांक:-15/5/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री प्रभु दयाल देतानी	11-ए	मित्र गृ.नि.स.स. लि.	चन्दनबाड़ी -II ए	पट्टा	गैर अनुमोदित होने के कारण

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



आजादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2023/डी-1042

दिनांक 18/5/23

आम सूचना

श्री श्याम कृष्णा विकास समिती चौमूं जयपुर की आवासीय योजना श्री श्याम कृष्णा कॉलोनी का आवंटन/नियमन शिविर आयोजित करने हेतु आवेदन किया गया है आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत योजना ग्राम-चौमूं तहसील-चौमूं जिला-जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के भाग पर सृजित हैं:-

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे में)
ग्राम-चौमूं तहसील-चौमूं जिला-जयपुर	3881,	0.1400 हेक्टेयर
	3877,	0.2500 हेक्टेयर
	3878,	0.1600 हेक्टेयर
	3879,	0.0500 हेक्टेयर
	3880	0.1600 हेक्टेयर
		कुल रकबा 0.7600 हेक्टेयर

उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	भूखण्डधारी का नाम	क्षेत्रफल (व.ग.) में
1.	1	श्रीमती ललिता देवी अग्रवाल / श्री रतन लाल अग्रवाल	381.36
2	2	-	
3	3	श्री कैलाश चन्द अग्रवाल / श्री शंकर लाल अग्रवाल	293.33
4	4	श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल / श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	222.16
5	5	श्री कमल किशोर खण्डेलवाल / श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल	209.52
6	6	श्री कमल किशोर खण्डेलवाल / श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल	223.45
7	7	श्री कालूराम प्रजापत / श्री कन्हैयालाल प्रजापत	322.9
8	8	-	
9	9	श्री शंकर लाल यादव / श्री हनुमान सहाय यादव	285.88
10	10	श्रीमती सरोज कंवर / श्री मदन सिंह चौहान	259.2
11	11	श्रीमती लक्ष्मी देवी / श्री श्रवण लाल मीणा	165.09
12	12	श्री सुशांत बसु / श्री सुधाशु शेखर बसु	191.97
13	13	श्रीमती कमला जैन / श्री विमल जैन	241.57
14	14	श्री भंवर जांगिड, श्री प्रकाश जांगिड पुत्र श्री कन्हैयालाल जांगिड	264.00
15	15	-	
16	16	श्री नरेश कुमार जैन / श्री कुन्दन मल जैन	99.66
17	17	श्रीमती मुन्नी देवी सोनी / श्री मूलचन्द सोनी	282.75
18	18	-	
19	19	-	
20	20	श्री सरेश सोनी / श्री हरिनारायण सोनी	294.10
21	21	श्रीमती प्रेम कंवर / श्री सांवर सिंह चौहान	197.17
22	22	-	
23	23	-	
24	24	-	
25	25	-	
26	26	-	

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दूरभाष91-141-2569795 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे. 8340 : फैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

उक्त योजना में स्थित दुकानधारियों की सूची निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	दुकान संख्या	दुकानधारी का नाम	क्षेत्रफल (व.ग.) में
1	एस-1.	श्रीमती प्रेम कंवर / श्री सांवर सिंह चौहान	37.206

उक्त योजना श्री श्याम कृष्णा कॉलोनी के नियमन की कार्यवाही की जानी है। अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियों की सूची में अगर किसी खातेदार/हितधारक/ भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात् 7 दिवस में कार्यालय जोन-13 जविप्रा जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह, साक्ष्य आदि एवं आपत्तियों के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करें अन्यथा किसी स्थिति में उक्त खसरों में स्थित भूमि विकसित अनुमोदित मानचित्र अनुसार योजना उक्त सूची के आधार पर नामहस्तांतरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

६०

प्राधिकृत अधिकारी जोन-13,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त आयुक्त- (पूर्व), जविप्रा जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. जन सर्मक अधिकारी जविप्रा जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें कृपया कैम्प दिनांक से पूर्व विज्ञप्ति की राशि से अवगत करायें। जिससे आवंटन की राशि के साथ यह राशि योजना के भूखण्डधारियों से प्राप्त कर सकें।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-13,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी-1133

दिनांक:-16.5.23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	ग. नि. स. स. / निजी खातेदारी / जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	135315	रमेश सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री रमेश चन्द	18	133.8	दी शिवा	स्कीम 2 बी	नियमन एवं पट्टा विलेख	सूची में नाम की भिन्नता
2.	138102	श्री नरेन्द्र खिप्पल, श्री सुरेन्द्र खिप्पल एवं श्रीमती प्रीति मित्तु	श्री कमलजीत खिप्पल पुत्र श्री त्रिलोचन खिप्पल	168	358.00	गांधी नगर	कस्तूरबा नगर	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
3.	130294	श्री रविन्द्र सिंह, श्री मनोज कुमार, श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री सोमेन्द्र सिंह	श्री मंगती राम जाटव पुत्र श्री भजनी राम जाटव	87 बी	121.41	माधव	मोती नगर	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-5

उपायुक्त जोन-5



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी-1301 दिनांक- 16/5/2023

--:आम सूचना:-

मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना का आवंटन/नियमन कराने हेतु योजना सुमेर नगर विस्तार जे ब्लॉक का रिकार्ड सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-बलरामपुरा उर्फ खेजड़ो का बास, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के सम्पूर्ण/आंशिक भाग पर सृजित है।

क्र.स.	ग्राम/तहसील	खसरा नं.	रकबा	सम्पूर्ण/आंशिक	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	ग्राम-बलरामपुरा उर्फ	91/4	0.35	सम्पूर्ण	जयपुर विकास प्राधिकरण,
	खेजड़ो का बास	92/4	0.22	सम्पूर्ण	जयपुर
	तहसील-सांगानेर	91/5	0.37	सम्पूर्ण	
	जिला जयपुर	92/5	0.20	सम्पूर्ण	
		91/6	0.32	सम्पूर्ण	
		92/6	0.25	सम्पूर्ण	
	कुल	6	1.71		
			हेक्टेयर		

उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित है-

क्र.सं.	नाम/पिता/पति	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1.	श्रीमति सुनिता अग्रवाल पत्नी सुशील अग्रवाल	J-1	200
2.	पुष्पा देवी खण्डेलवाल कन्हैयालाल	J-2	153.33
3.	पिकी पत्नी कैलाश जी	J-3	153.33
4.	कमलेश गुप्ता डी पी रावत	J-4	153.33
5.	कुमुद वर्मा पत्नी श्री संतलाल वर्मा	J-5	153.33
6.	शांति देवी पत्नी सतीशचंद	J-6	153.33
7.	जितेन्द्र गोयल श्री जगमोहन	J-7	153.33
8.	जितेन्द्र गोयल श्री जगमोहन	J-8	153.33
9.	योजीराम चौधरी श्री मांगीलाल	J-9	153.33
10.	श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी श्री सूरजकरण चौधरी	J-10	147.88
11.	शकुंतला देवी पत्नी पूरणसिंह	J-10-A	168
12.	रंजु शर्मा पत्नी श्री गिरिश शर्मा	J-10-B	153.33
13.	नानगराम चौधरी श्री नानूराम	J-11	200
14.	श्रीमति सुनिता अग्रवाल पत्नी सुशील अग्रवाल	J-12	200
15.	प्रभुदयाल चौधरी श्री भोलूराम	J-13	200
16.	शंकरलाल चौधरी मिथूलाल	J-14	200
17.	गीता देवी गोपाललाल	J-15	200
18.	गोपाललाल चौधरी लाई राम	J-16	200
19.	चंदा देवी पत्नी श्री मंगलराम	J-17	200
20.	श्री शंकरलाल शर्मा श्री गोविंदराम शर्मा	J-18	22.22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

21.	प्रभु दयाल चौधरी पुत्र श्री भोलूराम चौधरी	18 -A	166.66
22.	हेमराज शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा	18 -A-1	22.22
23.	मोहम्मद यूनुस चांद मोहम्मद	J -18 -B	22.22
24.	मोहम्मद यूनुस चांद मोहम्मद	J -18 -C	33.33
25.	मोहम्मद यूनुस चांद मोहम्मद	J -18 -D	33.33
26.	श्रीमति पार्वती देवी पत्नी श्री गोपाललाल दपेन	J -18 -E	33.33
27.	वीना गोयल पत्नी श्री एच पी गोयल	J -19	601.66
28.	वीना गोयल पत्नी श्री एच पी गोयल	J -20	395
29.	मुरारीलाल मदनलाल	J -21	205.57
30.	मनीष अग्रवाल मुरारीलाल	J -21 -A	196.08
31.	अजय अग्रवाल मुरारीलाल	J -21 -B	189.83
32.	नितिन गोयल श्री एच पी गोयल	J -22	555.79
33.	अनोप देवी रामजीवन मीणा	J -23	298.83
34.	जयनारायण श्री नाथूराम	J -24	388.9
35.	रतनलाल शर्मा पुत्र श्री रामसुख शर्मा	J -24 -A	311.11
36.	मोतीलाल श्री भूराराम	J -25	413.7
37.	विमला चौधरी पत्नी श्री सुदेश कुमार मीना गुप्ता पत्नी कैलाश नारायण	J -26	253.75
38.	राजेन्द्र कुमार सैनी नाथूराम	J -27	134.65
39.	संतोष पत्नी श्री उमेश सिंह चौधरी	J -27 -A	303.31
40.	रामेश्वर चौधरी देवाराम	J -28	76.92
41.	रामप्रकाश श्री हनुमान चौधरी	J -28 -A	84.63
42.	अमृत भारद्वाज कैलाश भारद्वाज	J -29	92.34
43.	प्रहलाद चौधरी रामचंद्र	J -30	100.06
44.	शंकरलाल चौधरी रामचंद्र	J -31	107.77
45.	रामचंद्र घासीराम चौधरी	J -32	115.48
46.	मीना अग्रवाल पत्नी श्री किशन	J -33	193.95
47.	मीना अग्रवाल पत्नी श्री किशन	J -34	176.66
48.	मीना अग्रवाल पत्नी श्री किशन	J -35	251.11
49.	मीना अग्रवाल पत्नी श्री किशन	J -36	509.7
50.	किशन अग्रवाल श्री कन्हैयालाल	J -37	661.8
51.	किशन अग्रवाल श्री कन्हैयालाल	J -38	166.66
52.	मीना अग्रवाल पत्नी श्री किशन	J -39	194.44
53.	रामचंद्र घासीराम चौधरी	J -40	138.88
54.	शंकरलाल रामचंद्र	J -41	138.88
55.	प्रहलाद चौधरी रामचंद्र	J -42	138.88
56.	अमृत भारद्वाज पुत्र कैलाश भारद्वाज	J -43	138.88
57.	रामेश्वर चौधरी देवाराम	J -44	138.88

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय} : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

58.	रामप्रकाश श्री हनुमान चौधरी	J-44 -A	138.88
59.	श्री शंकरलाल शर्मा श्री गोविंदराम शर्मा	J-45	245
60.	श्री शंकरलाल शर्मा श्री गोविंदराम शर्मा	J-46	388.88
61.	श्री शंकरलाल शर्मा श्री गोविंदराम शर्मा	J-47	350
62.	श्रीमति संपती देवी पत्नी श्री रतनलाल शर्मा	J-47 -A	272.22
63.	संतोष सिंह श्री सुंदर सिंह	J-48	260.55
64.	नितिन गोयल श्री एच पी गोयल	J-49	451.11

उक्त योजना- **सुमेर नगर विस्तार जे ब्लॉक**, ग्राम-बलरामपुरा उर्फ खेजड़ो का बास तहसील सांगानेर का आवंटन/नियमन शिविर दिनांक 19.05.2023 को लगाया जाना नियत है।

अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियों की सूची से सम्बन्धित, अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, कैम्प दिवस या 7 दिवस (जो भी कम हो) में कार्यालय पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-द्वितीय), इन्द्र पथ सेक्टर-12, सामुदायिक केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त खसरा नम्बर में स्थित भूमि में विकसित आवासीय ब्लॉक की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/ नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी। योजना मानचित्र एवं सदस्यता सूची जविप्रा की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

६०

उपायुक्त,
जोन पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, पी.आर.एन. जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में कराने का श्रम करें। कृपया उपायुक्त पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा को कैम्प दिनांक से पूर्व विज्ञापित की राशि से अवगत करावें। जिससे आवंटन की राशि के साथ यह राशि योजना के भूखण्डधारियों से प्राप्त कर सकें।

उपायुक्त,
जोन पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी/346

दिनांक 16/5/23

सार्वजनिक सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की स्पेशल इकोनोमिक जोन में आ रही भूमि राजस्व ग्राम पालडी परसा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 647/1088 रकबा 0.15 हैक्ट. किता 1 कुल रकबा 0.15 हैक्ट. के खातेदार/खातेदारों/वारिसान द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-11 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक 15.5.23

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी-1672

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री अशोक कुमार फलोर पुत्र श्री अर्जुन लाल फलोर एवं श्रीमती शोभारानी फलोर पत्नी श्री अशोक कुमार फलोर	श्रीमती लक्ष्मी देवी फलोर पत्नी श्री अर्जुन लाल फलोर एवं श्रीमती शोभारानी फलोर पत्नी श्री अशोक कुमार फलोर	2/203	275.00 वर्ग मी.	जविप्रा की विद्याधर नगर, योजना	जविप्रा की विद्याधर नगर, योजना	नाम हस्तान्तरण व फ्री होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र व पंजीकृत हक त्याग व अन्य पत्रादि

2

उपायुक्त, जोन-2
जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी- 1027

दिनांक 15/5/23

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मू.सं.	भू.क्ष. (व0ग. मे)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री अनिल त्रिवेदी पुत्र श्री विशम्भर दयाल त्रिवेदी	श्री नरेन्द्र सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी	19	200	हसनपुरा ए गृ.नि.स.स	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	भूखण्ड संख्या 19 पर किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने से।
2	श्रीमती धन्वी देवी पत्नी श्री प्रभात सैनी	श्री लड़डू लाल मीणा पुत्र श्री रामविलास मीणा	120	200	बंधु गृ.नि.स.स	सचिवालय विहार स्कीम नं. 27	फ्री होल्ड	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र में कांट छंट होने से।
3	श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री केदार चौधरी	श्री रामदेव चौधरी पुत्र श्री मंगला राम चौधरी	60	230.26	हसनपुरा ए गृ.नि.स.स	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में भूखण्ड संख्या 60 अंकित नहीं होने से।
4	श्री दिनेश कुमार यादव पुत्र श्री शिव जी राम यादव	श्री कजोड यादव पुत्र श्री भंवर लाल यादव	02	150	लूनियावास गृ.नि.स.स	शिवा नगर ए	फ्री होल्ड	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र में कांट छंट होने से।
5	श्री प्रेमचंद जैन पुत्र श्री कल्याण मल	स्वयं	20	200	मित्र गृ.नि.स.स	अशोक विहार ए	फ्री होल्ड	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, रसीद, स्थल मानचित्र गुम होने पर एफ.आई. की प्रति प्रस्तुत किये जाने से।
6	श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ	स्वयं	26	133.33	लूनियावास गृ.नि.स.स	गोविन्द नगर	फ्री होल्ड	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र में कांट छंट एवं सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं होने से।
7	श्री इन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री भंवर सिंह राठौड	स्वयं	46वी	50	लूनियावास गृ.नि.स.स	गोविन्द नगर	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं होने से।
8	श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार	श्री राजाराम शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा	131	166.66	लूनियावास गृ.नि.स.स	गोविन्द नगर	फ्री होल्ड	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र में कांट छंट एवं सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं होने से।
9	श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री बाबूलाल धोबी	श्री कजोड लाल धोबी पुत्र श्री नन्द लाल धोबी	26	75	लूनियावास गृ.नि.स.स	शिवा नगर ए	फ्री होल्ड	मुल्य उपरान्त रजि0 हकत्याग के आधार पर हस्तान्तरण होने से।
10	श्री रोशन लाल सैनी पुत्र श्री प्रभाती लाल	श्री विष्णु उदयवाल पुत्र श्री राम दयाल	142	104.16	लूनियावास गृ.नि.स.स	गोविन्द नगर	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में उक्त भूखण्ड अंकित नहीं होने से।
11	श्रीमती अम्बालिका देवी पत्नी श्री बाबूलाल अवस्थी	स्वयं	74	100	लूनियावास गृ.नि.स.स	गोविन्द नगर	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में उक्त भूखण्ड अंकित नहीं होने से।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2023/डी- 581

दिनांक 15.05.2023

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. सं. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	45	माधव नगर	चन्द्र नगर	श्री गोपाल लाल कुमावत पुत्र स्व. श्री लाल चन्द कुमावत	श्रीमती रुकमणी देवी कुमावत पत्नी श्री गोपाल लाल कुमावत	इकरारनामा एवं उप रजिस्ट्रार सहकारिता प्रकोष्ठ से जारी नाम हस्तान्तरण पत्र, जेडीए लीज होल्ड पट्टा, मृत्यु प्रमाण पत्र व शपथ पत्र आदि।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2023/डी-1555

दिनांक 15-05-2023

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	ग. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	पुराना 279 नया 299	न्यू पिंक सिटी	सिद्धार्थ नगर-सी	श्री अनुराग फागावत पुत्र श्रीमती ललिता देवी जरिये मुख्यार खास श्रीमती मंजु चन्द पत्नी श्री अमीचन्द	श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री बंदी प्रसाद	मूल आवंटी का आवंटन पत्र दिनांक 02.02.1988, साईट प्लान, सदस्य रंसीद की छायाप्रति, ऑनलाईन गुमशुदगी दिनांक 20.01.2022, खोया-पाया दैनिक समाचार में प्रकाशित की प्रति एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों, मुख्यारनामा खास की प्रतियां आदि।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल

.jc.zone04@jaipurjda.org

प्राधिकृत अधिकारी जोन-05
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/जोन-05/2023/डी-1097

दिनांक :- 12.5.23

लोक सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा नीचे उल्लेखित भूमि ग्राम सुशीलपुरा के खसरा नं. 236, 237 व 238 में सृजित योजना सुशीलपुरा का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वोपन के लिए स्व प्रेरणा से निर्णय लिया गया है, अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
तहसील जयपुर, जिला जयपुर	ग्राम सुशीलपुरा	236 व 237 238	1.08 बीघा 0.11 बीघा

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1956 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वोपन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदानुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 12.5.23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-5

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-5



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-1021

दिनांक 15/5/2023


आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री संजय शर्मा पुत्र श्रीकांत शर्मा शर्मा	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री मोती लाल	05	266.66 व०ग०	रामनगर गृह निर्माण सहकारी समिति	मोती नगर	लीजडीड	भूखण्ड संख्या 5 पर किसी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने से।
2	श्रीमती राधिका दुसाद पत्नी उदित दुसाद	श्री भैरुप्रसाद श्रीवास्तव, श्री राज बहादुर, श्री प्रेमबहादुर श्रीवास्तव, श्री श्याम बहादुर पुत्रान् स्व० श्री भवानी प्रसाद,	बी-23	583.99 व०ग०	शिवा गृ.नि.स. स.	प्रेम कॉलोनी	लीजडीड	अपंजीकृत वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र होने से।
3	श्रीमती गोपी पत्नी श्री रामकरण	श्रीमती प्रभाती पत्नी श्री रामकरण श्रीमती रामप्यारी देवी पत्नी श्री रामकिशन	17	281.66 व०ग०	दी कृष्णा को० ओ. हा. सो.	दुसाद नगर प्रथम	लीजडीड	गजट नोटिफिकेशन होने से।


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 1003

दिनांक 11/5/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रामजीलाल शर्मा पुत्र श्री सोताराम शर्मा	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जालिम सिंह	22	102 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	शिवा नगर	लीजडीड	आवंटन पत्र में कांट-छांट होने पर
2	श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी श्री रानचरण लखेरा	स्वयं	08	102 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	शिवा नगर	लीजडीड	सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं होने के आधार पर
3	श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री कजोडमल धोबी	श्री कजोडमल धोबी पुत्र श्री नन्दलाल धोबी	26	150 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	शिवा नगर	लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र होने के आधार पर
4	श्री नानगराम कुमावत पुत्र श्री जगन्नाथ	स्वयं	06	166. 66 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	शिवा नगर	लीजडीड	साइट प्लान में कांट छांट होने के आधार पर
5	श्री ओमप्रकाश कुमावत पुत्र श्री लादूराम	राजकुमारी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार राज	2	148 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	शिवा नगर	लीजडीड	साइट प्लान में योजना का नाम भिन्न होने एवं आवंटन पत्र में कांट-छांट होने से।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।